भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4167
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनआरएचएम के अंतर्गत तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

4167. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सकों और नेत्र रोग विशेषज्ञों की भर्ती हेतु कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में आशा कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित नर्सो की भर्ती करने के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्रीय निर्गत राशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु.में)

वित्त वर्ष	केंद्र द्वारा निर्गत राशि
2021-22	1,631.91
2022-23	1,652.24
2023-24	1,996.06

नोट:
1. उपरोक्त निर्गत धनराशि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आशा कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित नर्सों की भर्ती सहित सभी कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

की सरकारों के अधीन हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर उनकी जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मानव संसाधन (एचआर) की कमी को दूर करने के लिए, डॉक्टरों और परा-चिकित्सकों को देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एनएचएम के तहत निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा देने तथा उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता।
- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों / प्रशिक्षित, आपातकालीन प्रसूति स्वास्थ्य देखभाल (ईएमओसी) बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को भी मानदेय प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत द्वारा तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू-कोट, वी पे" जैसी रणनीतियों में लचीलापन भी शामिल है।
- दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश को वरीयता देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी एनएचएम के अंतर्गत शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

इसके अलावा, एनएचएम के तहत मानव संसाधन का विवरण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (अवसंरचना और मानव संसाधन) रिपोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

******